न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 72/2018

1. शिवनारायण पुत्र श्री मथुरालाल जाति गालव (ब्राहमण)
2. बिलासी बाई पुत्री मथुरालाल जाति गालव (ब्राहमण)
   निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां तह0 मांगरोल जिला बारां
3. उमाशंकर पुत्र श्री कृष्णकांत जाति गालव (ब्राहमण)
4. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्णकांत जाति गालव (ब्राहमण)
5. बृजेश बेवा श्री कृष्णकांत जाति गालव (ब्राहमण)
   निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल हाल निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां तहसील बारां जिला बारां (राज0)

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. रामेश्वर पुत्र श्री मथुरालाल जाति ब्राहमण गालव निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी सुन्दर जी की बगीची पुष्पकुंज बारां जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 05.07.2018

निर्णय दिनांक : 26.07.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2034–37 ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल की जमाबंदी में खातेदार मथुरालाल पुत्र हीरालाल जाति गालव ब्राहमण निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारा के खाते कुल किता 11 आराजी रकबा 55 बीघा 08 बिस्वा दर्ज थी। वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है।

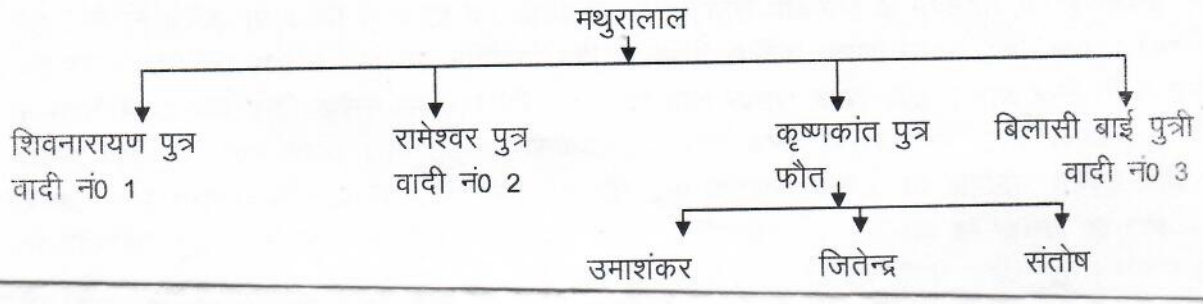

इद पत्र मात्र साबिक खसरा नं0 598/660 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नं0 598/661 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के लिए पेश किया जा रहा है। दौराने सेटलमेंट राजस्व कार्मिको ने वादीगण के कब्जे काश्त के साबिक खसरा नं0 598/660 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा को हाल खसरा नं0 777 रकबा 1.19 है0 से तथा साबिक खसरा नं0 598/661 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा को हाल खसरा नं09 700 रकबा 0.60 है0 से बनना बताया है, जो सर्वथा गलत है। साबिक खसरा नं0 598/660 व 598/661 के नये खसरा नं0 700 व 777 हो ही नही सकते। क्योकि हाल खसरा नं0 700 व 777 साबिक खसरा नं0 के राजस्व नक्शे पर बने हुए नही है। वादीगण को साबिक खसरा नं0 598/660 व 598/661 का आवंटन साबिक खसरा नं0 598 रकबा 117 बीघा 13 बिस्वा में से दो टुकडो में किया गया था। साबिक राजस्व नक्शा सम्वत 2010–11 देखने से स्पष्ट है कि खसरा नं0 598 कुल रकबा 117 बीघा 13 बिस्वा में से वादीगण को बटा नम्बर करके दो खेत कमशः 598/660 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नं0 598/661 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन किया गया था, जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2010–13 व सम्वत 2034–37 में हो रहा है। हाल खसरा नं0 777 रकबा 1.19 है0 के साबिक राजस्व नक्शे खसरा नं0 598/660 व 598/661 के स्थान पर नही है हाल खसरा नम्बर 777 को साबिक राजस्व नक्शा बहुत दूर ऊपर की ओर बना हुआ है जहां पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण तो प्रारम्भ से ही साबिक खसरा नम्बर 598/660 व 598/661 पर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 598/660 के स्थान पर खसरा नम्बर 774, 702 व खसरा नं0 598/661 के स्थान पर हाल खसरा नम्बर 700 रकबा 0.60 है0 के हाल नक्शे बने हुए है। इस प्रकार वादीगण का खसरा नम्बर 777 रकबा 1.19 है0 व खसरा नम्बर 702 के कुल रकबा 2.36 है0 पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है। उसके स्थान पर हाल खसरा नम्बर 774 व खसरा नंम्बर 700 व 702 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। साबिक खसरा नम्बर 598/660 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर खसरा नं0 774 रकबा 1.19 है0 बना हुआ है जबकि रकबा 1.41 है0 होना चाहिए। यह कमी रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 702 रकबा 2.36 है0 सिवायचक में मिला रखा है इसी तरह साबिक खसरा नं0 598/661 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर खसरा नं0 700 रकबा 0.60 है0 बना रखा है और रकबे में लगभग 0.44 है0 कम कर रखा है यह रकबा भी सिवायचक खसरा नम्बर 702 रकबा 2.36 है0 में मिला रखा है। पुराने राजस्व नक्शे व साबिक खसरा नम्बर 598/560 व 598/561 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 774 रकबा 1.41 है0 व हाल खसरा नम्बर 700 रकबा 1.04 है0 वादीगण के खाते में दर्ज किया जाना न्यायसंगत होगा जिसमें से माननीय जिला कलक्टर महोदय बारां ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.1999 में सिवायचक खाता संख्या 702 में खसरा नम्बर 702/1010 रकबा 0.33 है0 की पूर्ति कर दी है फिर भी 0.35 है0 की कमी चली आ रही है। खसरा नम्बर 777 रकबा 1.19 है0 वादीगण के खाते से विलोपित किया जाकर सिवायचक घोषित करें। वादीगण अपने–अपने खाते की आराजी को पांति काश्त कराते है। वादीगण पांति काश्त हंसराज से कराते है प्रतिवादी कम 1 खसरा नं0 774 रकबा 1.01 है0 व खसरा नं0 702 रकबा 2.36 है0 में से 1.61 है0 का भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 व राजस्थान उप–निवेशन अधि0 1954 की धारा 22 का अतिक्रमण का नोटिस वादीगण के पांतिदार को दे रही है जबकि वादीगण खसरा नं0 702 व 774 पर अतिक्रमी नही है बल्कि साबिक खसरा नम्बर 598/660 व 598/661 के खातेदार है और इन्ही खसरा नम्बरान की जगह पर हाल खसरा नंम्बर 702 व 774 बना रहे है इसलिए खसरा नम्बर की 777 रकबा 1.19 है0 को सिवायचक घोषित करके खसरा नम्बर 774 रकबा 1.45 है0 व खसरा नम्बर 700 रकबा 1.04 है0 किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी कम 2 को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण को खसरा नं0 774 व 702 का अतिक्रमण का नोटिस नही देवे व पूर्व में दिये नोटिस को अवैध घोषित किया जावें। अतः निवेदन है कि

वादीगण व प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित फरमावें कि–

1. ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल के हाल खसरा नं0 774 रकबा 1.01 है0 व खसरा नं0 702 रकबा 1.23 है0 में से 0.40 है0 मिलाकर कुल रकबा 1.41 है0 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें।
2. ग्राम किशनपुरा तह0 मांगरोल के हाल खसरा नं0 700 रकबा 0.60 है0 में खसरा नं0 702 रकबा 1.23 है0 में से 0.44 है0 मिलाकर कुल रकबा 1.04 है0 किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित यिका जावें तथा दर्ज खसरा नं0 702/1010 को जमाबंदी में से विलोपित किया जावे।
3. एक स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी कम 1 खसरा नं0 774 व 702 रकबा 1.61 है0 के अतिकमि नोटिस अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उप–निवेशन अधिनियम के प्रार्थीगण को जारी नही करें।
4. साबिक राजस्व नक्शा अनुसार हाल राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जावें।
5. खसरा नं0 777 रकबा 1.19 है0 वाके माल किशनपुरा तह0 मांगरोल को सिवायचक घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.07.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया, प्रतिवादी कम 1 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल की ओर से जवाब दावा पेश होने पर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी कम 2 को रजिस्टर्ड ए0डी0 पेश की गई, प्रतिवादी कम 2 को आवाज दिलाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नही होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सरकार पैरोकार ने अपने जवाब दावा में राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से सम्बंधित व खातेदारी वादीगण की स्वीकर की है। दौराने सेंटलमेंट जो त्रुटि हुई है, उक्त त्रुटि को भी अपने जवाब दावे में स्वीकार की है।

वकील वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 शिवनारायण, पीडब्ल्यू 2 श्यामस्वरूप, पीडब्ल्यू 3 प्रेमशंकर के बयान लेख बद्ध करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेंज प्रदर्श करवायें है।

प्रदर्शः– 1 साबिक राजस्व नक्शा खसरा नं0 598, 598/660, 598/660, 598/661 ग्राम किशनपुरा
प्रदर्शः– 2 साबिक राजस्व नक्शा सं0 2010–13 खसरा नं0 598/660, 598/661 ग्राम किशनपुरा
प्रदर्शः– 3 हाल राजस्व नक्शा हाल खसरा नं0 700, 702, 774, 774 ग्राम किशनपुरा
प्रदर्शः– 4 जमाबंदी ग्राम किशनपुरा सम्वत 2034–2037 आराजी खसरा नं0 598 राज0 सरकार खाता
प्रदर्शः– 5 जमाबंदी सम्वत 2010–2013 किशनपुरा खातेदार मथुरालाल पुत्र हीरालाल
प्रदर्शः– 6 जमाबंदी सम्वत 2034–2037 किशनपुरा खातेदार मथुरालाल पुत्र हीरालाल
प्रदर्शः– 7 मिलान क्षैत्रफल हाल खसरा नं0 ग्राम किशनपुरा
प्रदर्शः– 8 मिलान क्षैत्रफल हाल खसरा नं0 ग्राम किशनपुरा
प्रदर्शः– 9 जमाबंदी सं0 2049–2052 ग्राम किशनपुरा खातेदार मथुरालाल पुत्र हीरालाल
प्रदर्शः– 10 नोटिस जिला कलक्टर बारां धारा 80 सी0पी0सी0
प्रदर्शः– 11 अतिकमी नोटिस धारा 22 राजस्थान उप–निवेशन अधि0 हंसराज
प्रदर्शः– 12 हाल जमाबंदी ग्राम किशनपुरा खातेदारान
प्रदर्शः– 13 सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम किशनपुरा खातेदारान मथुरालाल पुत्र हीरालाल

वकील वादी एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रस्तुत शामिल दस्तावेज राजस्व रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रदर्श 1 साबिक खसरा नं0 598 रकबा

117 बीघा 15 बिस्वा का है, इस रकबे में से वादीगण के पिता मथुरालाल को खसरा नं0 598/660 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 598/661 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन किया गया था, प्रदर्श 2 राजस्व नक्शा ग्राम किशनपुरा में खसरा नं0 598/660 व 598/661 के रकबे के दो अलग–अलग नक्शे बने हुए है।

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम किशनपुरा सम्वत 2010–2013 प्रदर्श 5 व प्रदर्श–6 जमाबंदी ग्राम किशनपुरा सम्वत 2034–2037 में उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 598/660 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 598/661 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा वादीगण के पिता मथुरालाल के खाते में दर्ज हो रही है तथा प्रदर्श–4 जमाबंदी राज0 सरकार के खाते की है जिसमें खसरा नं0 598 दर्ज हो रहा है आगे अपनी बहस में बताया कि प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 4, प्रदर्श 5 व प्रदर्श 6 से साबित है कि खसरा नं0 598/660 व 598/661 के रकबे की खातेदारी वादीगण के पिता मथुरालाल के पास थी, और वह आराजी पर काबिज काश्त थें।

न्यायालय भी वकील वादीगण के तर्को व प्रस्तुत दस्तावेज से सहमत है तथा यह सत्य है कि साबिक खसरा नं0 598/660 व 598/661 रकबे की खातेदारी मथुरालाल के दर्ज थी।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि दौराने सेटलमेंट, सेटलमेंट कर्मचारीयों ने साबिक खसरा नं0 598/660 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 598/661 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा का रकबा भी कम कर दिया तथा राजस्व नक्शे भी बदल दिये अर्थात साबिक खसरा नं0 598/660 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा का नया खसरा नं0 777 रकबा 1.19 दर्ज करते हुऐ नक्शा बहुत दूर बना दिया जबकि नक्शा पहले की जगह पर बनना चाहिऐं था, जो नही किया, साबिक खसरा नं0 598/660 के स्थान पर खसरा नं0 774 व खसरा नं0 702 का हाल राजस्व नक्शा बना दिया जो गलत है क्योकि ये दौनो ही खसरा नं0 सिवायचक है, जिनके अतिक्रमी नोटिस वादीगण के पांतीदार हंसराज को आने लगें।

आगे बहस में बताया कि साबिक खसरा नं0 598/661 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा का हाल खसरा नं0 700 रकबा 0.60 है0 दर्ज करके लगभग 0.44 है0 रकबा कम कर दिया जो सिवायचक आराजी खसरा नं0 702 रकबा 2.36 है0 में मिला दिया। जिसको दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।

आगे कथन किया कि प्रदर्श–11 जो धारा 22 राजस्थान उप–निवेशन अधिनियम के नोटिस वादीगण के पांतीदार हंसराज को दिऐ जा रहे है, वह गलत है क्योकि उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है, जिसकों दौराने सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने सिवायचक दर्ज कर दी है।

न्यायालय ने सम्पूर्ण प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अध्ययन किया ओर वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय के मत में वादीगण के खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नं0 598/660 का हाल राजस्व नक्शा उस जगह नही बना जिस जगह साबिक खसरा नं0 का राजस्व नक्शा था, तथा रकबा भी दौराने सेटलमेंट कार्यवाही कम किया गया है, तथा जो नोटिस अतिक्रमी को धारा 22 के दिए जा रहे है, उक्त नोटिस भी अनुचित व त्रुटिपूर्ण है। अतः न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना न्यायोचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है किः–

(अ) यह कि राज0 सरकार के खाते में दर्ज खसरा नं0 702 रकबा 1.23 है0 वाके माल किशनपुरा तह0 मांगरोल के रकबे में से 0.84 है0 रकबा खारिज किया जाकर, खसरा नं0 774 रकबा 1.01 है0 में 0.40 है0 जोड कर कुल रकबा 1.41 है0 किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी कम 1 को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण व प्रतिवादी कम 2 के खाते संख्या 303 में दर्ज खसरा नं0 700 रकबा 0.60 है0 में कमी रकबा 0.44 है0 रकबा जोडकर कुल रकबा खसरा नम्बर 700 रकबा

1.04 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है। बढे हुए रकबे के अनुसार वादीगण का हाल राजस्व नक्शा भी दुरूस्त किऐ जाने का आदेश दिया जाता है।

(ब) वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के खाता संख्या 303 ग्राम किशनपुरा तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 702/1010 रकबा 0.33 है0 व खसरा नं0 777 रकबा 1.19 है0 को सिवायचक घोषित कर राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज किया जावें।

(स) यह कि एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 तहसीलदार मांगरोल जारी की जाती है कि खसरा नं0 702, खसरा नं0 774 रकबा 1.61 है0 वाके माल किशनपुरा तह0 मांगरोल की आराजी के अतिक्रमी नोटिस धारा 22 राजस्थान उप–निवेशन अधिनियम के तहत वादीगण को जारी नही करें।

निर्णयनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को सरेइजलास मजमें आम में सुनाया गया।

1. यह कि हाल सेटलमेन्ट से पूव सम